

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/805

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी.....सिणेरे..... व भूअ.नि.....धारणा.....
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/सम्दड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा
.....आधार कार्ड, अनाधार कार्ड, नोडर कार्ड, सरपंच अन्नपूर्णा नगर प्रकाश फा.....
पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/सम्दड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार
सिवाना/सम्दड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	भाखरपुरा	209.	बबूदेवी पत्नी शंकर सिंह	बबूरी कंवर उर्फ बबूदेवी पत्नी शंकर सिंह

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/12
प्रतिलिपि -

दिनांक:-11.10.2025

- तहसीलदार सिवाना/सम्दड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- प्रार्थी/प्रार्थीगण.....बबूरी कंवर पत्नी शंकर सिंह जाति राजपुरोहित ग्राम भाखरपुरा (सिवाना)
तहसील सिवाना/सम्दड़ी जिला बालोतरा
- रक्षित पत्रवाली।

